



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 भाद्र 1943 (श0)
(सं0 पटना 783) पटना, मंगलवार, 14 सितम्बर 2021

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

14 सितम्बर 2021

एस० ओ० 131, दिनांक 14 सितम्बर 2021— बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 (बिहार अधिनियम 16, 2021) की धारा 1 की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, 1 अगस्त, 2021 को उस तारीख के रूप में नियुक्त करते हैं, जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 4 और 5 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-13) 1843)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

14 सितम्बर 2021

एस० ओ०. 131, दिनांक 14 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-13) 1843)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 14th September 2021

S.O. 131, Dated 14th September 2021— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Bihar Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021 (Bihar Act 16, 2021), the Governor of Bihar hereby appoints the 1st day of August, 2021, as the date on which the provisions of sections 4 and 5 of the said Act shall come into force.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-13)1843]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 783-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>